# समाहरणालय गोपालगंज

(जिला नजारत शाखा)

## किराया पर वाहन उपलब्ध कराने हेतु पुनर्निनिविदा

बिहार प्रशासनिक सेवा के जिला एवं अनुमंडल कार्यालय में पदस्थापित पदाधिकारियों/वरीय उप समाहर्त्ताओं के लिए बोलेरो /सूमो / सूमो गोल्ड / स्कार्पियों/जाईलों/ईनोभा / तवेरा/क्वालीसी आदि गाडियों को केराया पर आपूर्ति लेने हेतु निविदा का प्रकाशन किया गया था, जिसमें निविदा देने की अंतिम तिथि दिनांक 31.01.2017 थी। निर्धारित तिथि तक मात्र एक निविदा प्राप्त हुई थी, जो खोली नहीं जा सकी। पुनः उपरोक्त गाड़ियों को किराया पर आपूर्ति लेने हेतु नीचे लिखे निम्न शर्तों के अधीन निविदा आमंत्रित की जाती है:–

1. वाहन मालिक द्वारा सादे कागज पर दो मुहरबंद लिफाफों में तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग दी जायगी।
2. निविदा दिनांक ...27/03/17... के अपराह्न 2.00 बजे तक जिला नजारत प्रशाखा, गोपालगंज में समर्पित की जा सकती है।
3. गाड़ी का वाणिज्य–कर निबंधन होना आवश्यक होगा।यदि वाहन वणिज्य–कर निबंधन न हो तो आदेश प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर वाहन का वणिज्य–कर निबंधन कराना अनिवार्य होगा।
4. निविदा के साथ जमानत रूप में जिलाधिकारी,गोपालगंज के पदनाम से मो0–5,000.00 (पॉच हजार)रूपये मात्र का बैंक ड्राफ्ट संलग्न करना आवश्यक होगा, जिसे निविदा अस्वीकृत होने की स्थिति में वापस कर दिया जायेगा।
5. निविदा के साथ आयकर, पैन कार्ड की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
6. निविदादाताओं को काली सूची में दर्ज नही होने का प्रमाण–पत्र/शपथ–पत्र समर्पित करेंगें।
7. वित्तीय निविदा में वाहन मालिक ईधन सहित एवं ईधन रहित का अलग अलग दर अंकित कर निविदा समर्पित करेंगे।
8. वाहन का रख–रखाव का व्यय मालिक को ही करना होगा।
9. वाहन दो वर्षों से अधिक पुराना नही होना चाहिए तथा वाहन अच्छी हालत में होना चाहिए ।
10. वाहन,चालक सहित होगा। चालक को भुगतान वाहन मालिक को करना होगा।
11. वाहन खराब होने पर वाहन मालिक का दायित्व है कि वह दूसरा वाहन उपलब्ध करायेगे, अन्यथा निर्धारित राशि में से प्रतिदिन के लिए समानुपातिक दर से कटौती कर ली जाएगी।
12. सफल निविदादाता के द्वारा यदि वाहन उपलब्ध नही कराये जाते है तो उसी दर पर अन्य निविदादाताओं/संस्था से वाहन लिये जा सकेगें।
13. सभी प्राप्त निविदाओं को दिनांक ....27/03/17.... को 03.00 बजे अपराह्न में जिला क्रय समिति के समक्ष खोली जायेगा। निविदा खोलते समय निविदादाता अथवा उनके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है। न्यूनतम दर निविदा स्वीकृति का आधार होगा। अधोहस्ताक्षरी को निविदा किसी भी समय बिना कारण बताए रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

| | | |
|---|---|---|
| जिला नजारत उप समाहर्त्ता, गोपालगंज। | अपर समाहर्त्ता, गोपालगंज। | जिला पदाधिकारी, गोपालगंज। |